

देश/बादी, प्रतिवादी वलील उपरिपत  
 लादी वलील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
 धारा 56 अ. 2 अन्तर्गत आदेशियम का  
 प्रकरण संख्या 26/12 अपील नामान्तकरण  
 जो ग्राम पंचायत मालोला के नामान्तकरण  
 संख्या 745 के विरुद्ध प्रस्तुत होकर दिनांक  
 23.1.15 को निर्णित के संवद में देश  
 विषय गया। जिस पर निर्णय करते समय  
 हुए स्वीकार की गई उसमें तथ्यात्मक और  
 हरी एवं भूख रही इस लिए पुनः विचार  
 प्रार्थना पत्र देश विषय गया।

दिनांक 23/1/15  
 पत्रिका  
 दिनांक  
 23/1/15  
 गोपाल  
 दिनांक  
 23/1/15  
 दिनांक

अपीलान्त अ. 2 जो स्वयं के अधिकार  
 अपीलान्त अ. 2 के द्वारा निष्पादित विरुद्ध पत्र  
 के आधार पर क्लेम कर रहा था उसने, द्वारा भी  
 अपने अग्रस्त अधिकारों का त्याग अपर जिला  
 न्यायालय अ. 2, भीलवाड़ा के अग्रस्त प्रस्तुत  
 वाद पत्र में कर दिया, इस पर वाद पत्र में  
 प्रस्तुत राजीनामा। वाद विद्यु विवे जाने में  
 प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र तथा आदेशिका की  
 प्रति भी अपील में प्रस्तुत की गई, पर न्यायालय  
 का ध्यान आकर्षित नहीं हो सका। इस कारण  
 न्यायालय द्वारा अपील हो गई। अतः सुलत  
 प्रकरण में निर्णय हुआ है उसे अग्रस्त विषय  
 आने।

पञ्जावली का अवलोकन विषय गया।  
 व प्रार्थना पत्र पर मनन विषय गया। अतः  
 प्रार्थना पत्र स्वीकार विषय  
 आता है इस न्यायालय का पूर्व निर्णय अपर  
 विषय आता है/ लहरीलदर का निर्णय था. पत्र की शर्त  
 में आने।  
 अतः यह निर्णय वेम्प कोर्ट मालोला में  
 उसे काम सुलतपा गया।

पञ्जावली फेराला शुमार होकर निलम्ब  
 अ काम है

(उम्मेद सिंह राजावत)  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 एवेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा